उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्रधान कार्यालय, लखनऊ

दिनांक– 03.04.2020

पत्रांक 351/प्र.नि.स्प/स्थापना/2019–20

समस्त शाखा/वरिष्ठ प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0,
उत्तर प्रदेश।

उत्तर प्रदेश सरकार कोविड–19 (कोरोना) से निपटने हेतु सभी आवश्यक कदम उठा रही है। इस संकट की घड़ी में उ0प्र0 सरकार अपने समस्त नागरिकों को विशेषकर श्रमिकों, किसानो, वृद्धों, विधवाओं सहित समाज के कमजोर वर्ग के प्रत्येक परिवार हेतु आर्थिक मदद पहुंचाने का कार्य कर रही है। संकमित व संदेहास्पद मरीजों के निशुल्क इलाज के साथ–साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए भी समस्त आवश्यक प्रबन्ध किए जा रहे हैं।

वर्तमान में उत्पन्न विषम परिस्थितियों में मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट व अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करते हुए सभी बैंक कार्मिकों से अपील है कि मदद के लिए आगे आयें एवं सहयोग व योगदान हेतु कम से कम एक दिन का (Bsic + DA) वेतन स्वैच्छिक रूप से दान या चन्दा जमा करने का कष्ट करें।

अतः अपसे अपेक्षा है कि एक दिन का वेतन कटौती करते हुए प्रधान कार्यालय के लेखा अनुभाग को सूचित करने का कष्ट करें जिससे प्र0का0 के माध्यम से बैंक द्वारा Chief Minister's Distress Relief Fund में अर्थिक योगदान किया जा सके।

साथ में यह भी अवगत कराना है कि मुख्यमंत्री कार्यालय उ0प्र0 लोक भवन, लखनऊ के पत्र संख्या–33 /पी0एस0 – सी0एम0 (आर0)/2020 लखनऊ दिनांक 29.03.2020 द्वारा अवगत कराया गया है कि दी गयी धनराशि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G के तहत आयकर में पूर्ण छूट होगी।

(ए0के0 सिंह)
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक/सहायक महाप्रबन्धक, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0, लखनऊ।
2. समस्त अनुभाग अधिकारी, उ0प्र0सहकारी ग्राम विकास बैंक लि0, प्र0का0 लखनऊ को अपने अधीनस्थ सभी कार्मिकों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रबन्ध निदेशक